निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
416/2021	09.09.2021	16/3/26

1. कमला देवी पत्नि स्व० मीठालाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
2. रवि पुत्र स्व० मीठालाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
3. राजेश पुत्र स्व० मीठालाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
4. शिवदयाल पुत्र स्व० मीठालाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर

——वादीगण

बनाम

1. किशन लाल पुत्र विशन्या, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
2. मूडी देवी पत्नि किशनलाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
3. किशोरी पुत्र विशन्या, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा वजीरपुर। —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से।

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या 534 की आराजी हाल ख0नं0 4958 रकवा 0.69 है० ग्राम वजीरपुर की खातेदारी वादी संख्या 01 हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 02 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 03 हिस्सा 1/3 के नाम संयुक्त खातेदारी के नाम से दर्ज है जिस पर पक्षकारान हिस्से अनुसार काबिज हकर संयुक्त रूप से काबिज रहते चले आ रहे है। खाता संख्या 533 की आराजी हाल ख0नं0 4959 रकवा 0.69 है० ग्राम वजीरपुर की खातेदारी वादी संख्या 01 हिस्सा 1/6. बादी संख्या 02 हिस्सा 1/36, वादी संख्या 3 हिस्सा 1/36, वादी संख्या 04 हिस्सा अतिवादी संख्या 01 के नाम 1/6, प्रतिवादी संख्या 02 हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 03 हिस्सा 1/3 के नाम संयुक्त खातेदारी के रूप् में दर्ज है जिस पर पक्षकारान हिस्से अनुसार काबिज है यह है कि खाता संख्या 102 की आराजी हाल ख0नं0 4951 रकवा 0.02 है[illegible] रकवा 2.57 है० कुल किता 02 कुल रकवा 2.59 ग्राम वजीरपुर की खातेदारी वादी संख्या 02 हिस्सा 1/18, वादी संख्या 03 हिस्सा 1/18, वादी संख्या 04 हि0 2/9, एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 3 हिस्सा 1/3 के नाम संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है जिस पर पक्षकारान हिस्से अनुसार काबिज है यह कि वादपत्र के मद नम्बर 01, 02, 03 में वर्णित भूमि वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:31:29 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिससे पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार लाभान्वित चले आ रहे है। यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन भूमि की कांश्त को लेकर विवाद चले आ रहे है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 24.07.2021 को कहां कि भूमि का सहमति से चलकर विभाजन करवा लेते है परन्तु तो प्रतिवादीगण ने कहां की हमें कोई बंटवारा नहीं करवाना है तुम यदी बंटवारा करवाना चाहते हो तो तुम करवा लो। इसलिए वादीगण को अपनी भूमि के विभाजन हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि भूमि खसरा नम्बर 4958 रकवा 0.69 है० ग्राम वजीरपुर में वादी संख्या 01 का हिस्सा 1/3 एवं भूमि खसरा नम्बर 4959 रकवा 0.69 है० ग्राम वजीरपुर में वादी संख्या 01 कमला का हिस्सा 1/6 वादी संख्या 02 का हिस्सा 1/36, वादी संख्या 03 का हिस्सा 1/36, व वादी संख्या 04 का हिस्सा 1/9 संयुक्त रूप से प्रथक किया जावें एवं खसरा नम्बर 4951 रकवा 0.02 है०, एवं 4952 रकवा 2.57 है० वाके ग्राम वजीरपुर में वादी संख्या 02 का हिस्सा 1/18, वादी संख्या 03 का हिस्सा 1/18. वादी संख्या 04 का हिस्सा 2/9 संयुक्त रूप से पृथक किया जावें। उक्त अनुसार विवादित भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर मौके पर पक्षकारान के कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण के हिस्सो के खाते पृथक से कायम किये जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा पैदा न करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 09.06.2022 को श्री अशोक कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालत नामा पेश कर जबाव को समय चाहा परन्तु आगामी तारीख पेशी 06.10.2022 को प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

दिनांक 03.11.2022 को साक्ष्य वादी में गबाह राजेश कुमार का शपथ पत्र पेश कर मुख्य परिक्षण कराया गया तथा साक्ष्यवादी बंद कर बहस वकील वादी सुनी गई।

दिनांक 27.06.2024 को वादी का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के यहां से पत्रांक [illegible]/2025/996 दिनांक 05.02.2026 द्वारा विभाजन स्कीम इस न्यायालय को भिजवायी गई। जो पत्रावली मे संलग्न है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का तथा तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:31:29 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. किशोरी पुत्र विशन्या जाति बैरवा सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4959/1 रकबा 0.46 है0, ख0न0 4952/2 रकबा 0.8567 है0 कुल रकबा 1.3167 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

2. मूडी देवी पत्नी किशनलाल हि0 131/500, किशनलाल पुत्र विशन्या हि0 369/500 जाति बैरवा सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4958/2 रकबा 0.23 है0, ख0न0 4959/2 रकबा 0.23 है0, ख0न0 4952/1 रकबा 0.8567 कुल रकबा 1.3167 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

3. कमला देवी पत्नी मीठालाल हि0 131/500, रवि पुत्र मीठालाल हि0 123/1000, राजेश पुत्र मीठालाल हि0 123/1000, शिवदयाल पुत्र मीठालाल हि0 123/250 जाति बैरवा सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4958/1 रकबा 0.46 है0, ख0न0 4953/3 रकबा 0.8566 है0 कुल रकबा 1.3167 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

4. किशोरी पुत्र विशन्या हि0 1/3, किशनलाल पुत्र विशन्या हि0 1/3, रवि पुत्र मीठालाल हि0 1/18, राजेश पुत्र मीठालाल हि0 1/18, शिवदयाल पुत्र मीठालाल हि0 2/9 जाति बैरवा सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4951 रकबा 0.02 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उपखण्ड अधिकारी वजीरपुर
जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:31:29 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. कमला देवी पत्नि स्व० मीठालाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
2. रवि पुत्र स्व० मीठालाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
3. राजेश पुत्र स्व० मीठालाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
4. शिवदयाल पुत्र स्व० मीठालाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर

——वादीगण

बनाम

1. किशन लाल पुत्र विशन्या, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
2. मूडी देवी पत्नि किशनलाल, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
3. किशोरी पुत्र विशन्या, बैरवा नि0 वजीरपुर तह0 वजीरपुर
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा वजीरपुर। —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 416/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार वजीरपुर के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. किशोरी पुत्र विशन्या जाति बैरवा सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4959/1 रकबा 0.46 है0, ख0न0 4952/2 रकबा 0.8567 है0 कुल रकबा 1.3167 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।
2. मूडी देवी पत्नी किशनलाल हि0 131/500, किशनलाल पुत्र विशन्या हि0 369/500 जाति बैरवा सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 4958/2 रकबा 0.23 है0, ख0न0 4959/2 [illegible] 0.23 है0, ख0न0 4952/1 रकबा 0.8567 कुल रकबा 1.3167 है0 [illegible] रहेगी।
3. कमला देवी पत्नी मीठालाल [illegible] 131/500, [illegible] पुत्र मीठालाल हि0 123/1000, राजेश पुत्र मीठालाल हि0 123/1000, शिवदयाल पुत्र मीठालाल हि0 123/250 जाति बैरवा सा.देह खातेदार की [illegible]तेदारी मे भूमि ख0न0 4958/1 रकबा 0.46 है0, ख0न0 4953/3 रकबा 0.8566 है0 कुल रकबा 1.3167 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:31:29 IST
Reason: SelfAttested

4\. किशोरी पुत्र विशन्या हि० 1/3, किशनलाल पुत्र विशन्या हि० 1/3, रवि पुत्र मीठालाल हि० 1/18, राजेश पुत्र मीठालाल हि० 1/18, शिवदयाल पुत्र मीठालाल हि० 2/9 जाति बैरवा सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख०न० 4951 रकबा 0.02 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातों मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/3/26 को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.05.22 14:31:29 IST
Reason: SelfAttested